

संशोधित-प्राथमिक डिफ़ी मुकदमा इलाहाबाद

(अनु. क्र. ६ / अ.क्र. वि.क्र.)

श्री अनाम सहायक कलेक्टर मुख्यालय-टीक लीक अदालत कैम्प-देवपुरा

उपरोक्त

श्री रामकल्याण पुत्र रामराम जाति वैरवा विवाही राम देवपुरा तहसील व जिला टीक

विरुद्ध

1. श्रीनारायण पुत्र मूल्य जाति चौपा विवाही राम बिहीला तहसील व जिला-टीक
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र बही जाति मूल्य विवाही राम देवपुरा तहसील व जिला-टीक।
3. कमला पुत्री श्रीनारायण जाति गोल विवाही राम देवपुरा तहसील व जिला-टीक।

मुकदमा नम्बर-३३/२०१६

यह मुकदमा आज तारखे इफ्तियाल कलई कब्रु डी० सूरज सिंह नेगी आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर मुख्यालय टीक व हाजरी वादी मिन-जामिन मुतवई कब्रु प्रतिवादी मिन-जामिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिफ़ी दी जाती है कि -

प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निष्काजा हमेशा-हमेशा के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की खातेवादी भूमि आराजी खसरा नम्बर १००६ व १०२७/२ कुल रकबा ४ बीघा ५ बिस्वा वाके राम देवपुरा में किसी प्रकार की महजाहपत मवाखलत नहीं करे और न करावे। तहसीलदार टोक पहचारी एवं गू-अभिलेख निरीक्षक से वादपक्ष भूमि का सीमाज्ञान कर पथ्यरगड़ी करावे यदि उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो तत्काल वेदखली कर कब्जा वादी को सम्भलाया जावे।

जिजी मुकजिम बाबत खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगेरह फीसदी साज्जाना आज तारिख वसूजियत तक अदा करे।

बराख मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक १९ मई, २०१७ को जारी की गई।

(श्री० सूरज सिंह नेगी)
आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, मुख्यालय-टीक

मुतवई	रुपये	पैसे	मुतवई	रुपये	पैसे
स्टाम्प अजी वावा	००	००	स्टाम्प अजी वावा	००	००
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महलताना वकील			महलताना वकील		
खर्चा मवाहाल			खर्चा मवाहाल		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत ईजराय हुकमनामा			बाबत ईजराय हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकत का साहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(श्री० सूरज सिंह नेगी)
आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, मुख्यालय-टीक